वन अधिकार अधिनियम पर समिति को जानकारी के लिए आह्वान

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के कार्यान्वयन की स्थिति को जानने के लिए और कार्यान्वयन को समर्थ बनाने हेतु नीतियों व संस्थानों में अपेक्षित बदलाव के लिए सुझाव देने के लिए संयुक्त समिति का गठन किया है। समिति की संरचना और उसके विचारार्थ विषय को http://moef.nic.in/downloads/public-information/Reconstitute%20Committee.pdf. पर देख सकते है।

समिति अपना कार्य परामर्शों और सुनवाईयों, कार्यशालाओं तथा क्षेत्र निरीक्षण द्वारा व्यापक जन सहयोग से करना चाहती है।

इस घोषणा से समिति स्थानीय समुदाय, सिविल सोसाइटी संगठन, सरकारी एजेंसियों, अनुसंधानकर्ताओं और अन्य जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में सूचना और प्रेक्षण रखते हो, को सहयोग के लिए आमंत्रित करती है। कृपया ध्यान दें कि समिति का उद्देश्य अधिनियम का पुनरीक्षण करना नहीं है, किंतु इसके कार्यान्वयन और इससे उद्भूत सभी मामलों से है।

विशेषकर, हम 'सर्वोत्तम अभ्यास' पहल जहाँ पर अधिनियम समुचित रूप से कार्यान्वयन किया गया है के साथ ही 'निकृष्टतम अभ्यासों' जहाँ पर अधिनियम का कार्यान्वयन बाधित हुआ है के मामलों के अध्ययन और सूचनायें आमंत्रित करते है। जहाँ तक संभव हो कृपया अपनी सूचनाओं को साक्ष्यों और सम्पर्क सूत्रों से संपूरित/समर्थित करें जिससे यदि आवश्यकता हो तो समिति आपसे सम्पर्क कर सके।

समिति के कार्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट स्थापित की जा रही है, परंतु इस बीच जानकारी (लिखित या इलेक्ट्रोनिक तरीके से) निम्नलिखित को या समिति के अन्य सदस्य को भेजने की कृपा करें:

राकेश कुमार डोगरा
सदस्य–सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम पर समिति
सहायक महानिदेशक (शिक्षा), भा.वा.अ.शि.प.
पो. ओ. न्यू फॉरेस्ट,
देहरादून–248006
ई–मेल: dogrark@icfre.org.
दूरभाष: 0135–2224850, 2758348; 9410148935 (M)
फैक्स: 0135–2758571